FORM NO. III

फर्द अहकाम　　2019/00222

(नियम-26)

...... नियम ......

अदालत ...... सरकार ...... बनाम ...... तहसीलदार ......

मुकदमा ...... 130, 131, 136 ...... नं. ...... 162 ...... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.8.19	राज्य सरकार की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू-अभिलेख नियम 1970 के तहत भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा के द्वारा सम्बन्धित खसरे के खातेदारान के विरूद्ध पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की प्रकरण राजस्व विविध दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण खातेदारान को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तामिल/जवाब दिनांक 20.8.19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
28.8.19	पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिलवाड़ा के मूल खसरा नं. 16 पूर्व में सरकारी भूमि थी। जो अलग-अलग व्यक्तियों को आवंटन/नियमन हुई थी। वर्तमान में खसरा नं. 16 में से 50.06 बीघा आवंटन/नियमन से अवशेष रही जो वर्तमान में सरकारी भूमि है। आवंटन/नियमन की खातेदारी भूमि की तरमीम संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार की जा चुकी है। परिशिष्ट "क" अनुसार सरकारी भूमि एक-जाई में न होकर तीन अलग-अलग टुकड़ों में है। इन तीन टुकड़ों का क्षेत्रफल क्रमशः 7.08, 24.12, 18.06 बीघा है। वर्तमान जमाबंदी में सरकारी भूमि का एक ही खसरा खसरा नं. 16 रकबा 50.06 बीघा है। वर्तमान जमाबंदी परिशिष्ट "क" अनुसार नहीं है। अतः सरकारी भूमि खसरा नं. 16 रकबा 50.06 बीघा के तीन खसरा नं. क्रमशः 7.08, 24.12, 18.06 बीघा दर्ज करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र सरकारी भूमि से संबंधित था कोई विप्रार्थी न होने से नोटिस जारी नहीं किया गया।	

प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। जमाबंदी अनुसार ग्राम तिलवाड़ा में मूल खसरा नं. 16 में एक खसरा सरकारी भूमि का ख.नं. 16 रकबा 50.06 बीघा है। परिशिष्ट "क" अनुसार सरकारी भूमि एक चाक में न होकर तीन अलग- अलग टुकड़ों में है। अतः नक्शे अनुसार जमाबंदी हो आधिपत्य होना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम तिलवाड़ा के ख.नं. 16 रकबा 50.06 बीघा के तीन खसरा नं. रकबा क्रमशः 7.08, 24.12, 18.06 बीघा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त तीन खसरा नं. परिशिष्ट "क" अनुसार होंगे। तहसीलदार पचपदरा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.8.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बा तरा